मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-10

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2007 (फाल्गुन 24, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. शपथ/प्रतिज्ञान

विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-153 उदयपुरा से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती शशि प्रभा रामपाल ने शपथ ग्रहण की तथा सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किये और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री लाखन सिंह बघेल, श्री रामलखन शर्मा एवं डॉ. सुनीलम्, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-4 (क्रमांक 2223) पर "करैरा को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाय" संबंधी विषय पर करैरा को सूखा ग्रस्त घोषित न किये जाने एवं शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 142 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की दी गई राशि को हितग्राहियों को न दी जाने,

(2) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने नीमच शहर में सड़कों के निर्माण में अधिक राशि स्वीकृत करने,

(3) श्री मनमोहन शाह "बट्टी", सदस्य ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंशकालिक भृत्यों को न्यूनतम वेतन दिये जाने,

(4) श्री हमीद काजी, सदस्य ने बुरहानपुर जिले के आदिवासी विकास खण्ड खकनार में शा. माध्यमिक शाला भातखेड़ा के ग्राउण्ड पर अतिक्रमण होने,

(5) श्री रामदास उईके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत माध्यमिक शालाओं का उन्नयन हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी 6 वर्ष पूर्व कर दिये जाने के उपरान्त भी मान्यता प्राप्त नहीं होने,

(6) श्री प्रदीप अमृतलाल, सदस्य ने बालाघाट जिले के वारासिवनी क्षेत्र में नहर निर्माण से खेतों की खुदाई की जाने, तथा

(7) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य ने शाजापुर जिले में शिक्षा गारंटी योजना अंतर्गत शालाओं में कार्यरत गुरूजियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ समान रूप से न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखा।

(डॉ. सुनीलम्, सदस्य उनके द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा न कराये जाने पर अपने आसन पर से अपनी बात बोलते रहे)

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील तथा डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने इन्दौर में हुई छेड़खानी की घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव फैलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री आरिफ अकील एवं श्री अश्विव जोशी सहित कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री को सदन में बुलवाये जाने की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री जी अनुमति लेकर गये है तत्पश्चात् गर्भगृह में आये सदस्य वापस अपने आसन पर चले गये)

श्री नागेन्द्र सिंह, गृह राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने "इंदौर में हुई छेड़खानी की घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव फैलने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर विरोध में गर्भगृह में आ कर नारे लगाये)

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य "इंदौर में हुई छेड़खानी की घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव फैलने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे तथा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सर्वश्री रामलखन शर्मा, इन्द्रजीत कुमार तथा सत्यदेव कटारे, सदस्य ने रीवा जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री आरिफ अकील एवं श्री अश्विन जोशी, सदस्य ने "इंदौर में हुई छेड़खानी की घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव फैलने" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर के विरोध में दिन भर के लिए सदन का बहिष्कार किया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(सर्वश्री रामलखन शर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा तथा श्री मनमोहन शाह "बट्टी", सदस्यों द्वारा "रीवा जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले प शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(डॉ. सुनीलम्,सदस्य द्वारा रीवा जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री ज्ञान सिंह, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 23 एवं 30 मार्च, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	**शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2007**	**निर्धारित समय**
1. (क्रमांक-2,49)	डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, श्री शरद जैन (एडव्होकेट)	1.00 घण्टा
2. (क्रमांक-28)	कपूरचंद घुवारा	45 मिनिट
3. (क्रमांक-35)	डॉ. गोविन्द सिंह	45 मिनिट
	शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2007	
1. (क्रमांक-15)	श्री नारायण त्रिपाठी	45 मिनिट
2. (क्रमांक-42)	श्रीमती सरोज बच्चन नायक	45 मिनिट
3. (क्रमांक-53,55)	सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, सत्यदेव कटारे	1.00 घण्टा

श्री ज्ञान सिंह, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम सिरगुली कला के पास पेंच नदी पर सुरक्षा दीवार बनाये जाने,

(2) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम अजनेरी से बैगनिया तक मार्ग एवं रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम भानपुर से शोभापुर तक मार्ग निर्माण हेतु राशि आवंटित कराये जाने,

(ग) ग्राम लखनपुर से ढाना तक मार्ग एवं पुलिया हेतु राशि आवंटित कराये जाने,

(घ) ग्राम उटियां से अजेरा तक मार्ग एवं पुलिया हेतु राशि आवंटित कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम बरखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ जिले के -

(क) राजगढ़ मुख्यालय में विकलांगों के लिये छात्रावास खोले जाने,

(ख) राजगढ़ में रिक्त प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी चिकित्सकों की पदस्थापना किये जाने,

(ग) ग्राम करनवास में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(घ) ग्राम किला अमरगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने, तथा

(ङ) राजगढ़ में मिनी आई.टी.आई. केन्द्र प्रारंभ किये जाने,

(4) श्री रामदास उईके, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के ग्राम नवेगांव जलाशय से भतोड़िया तक नहर निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने, एवं

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम बिलहरा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पनारी स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) तहसील तेंदूखेड़ा स्थित विश्राम गृह को पुनः संचालित कराये जाने

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

8. वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने दिनांक 14.3.2007 को ग्राम गढ़िया थाना पोरसा जिला मुरैना में हुई मुठभेड़ में डकैत जगजीवन परिहार एवं उसके साथियों को धराशाही किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

9. वर्ष 2006-2007 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सत्रह सौ चौंतीस करोड़, छियासी लाख, आठ हजार छह सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह

(8) डॉ. सुनीलम्

(9) श्री सुखदेव पांसे

(10) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(11) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. घोषणा

सदन की बैठकों के समय में परिवर्तन संबंधी

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश अनुसार शुक्रवार के दिन सभा की बैठक का समय प्रात: 9.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक निर्धारित किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष से हुई चर्चा अनुसार शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 को सभा की बैठक प्रात: 9.00 बजे के स्थान पर प्रात: 10.30 बजे से आरंभ होगी तथा रात्रि 8.00 बजे तक चलेगी। इस बीच भोजन अवकाश नहीं होगा।

शनिवार, दिनांक 17 मार्च, 2007 को सभा की बैठक का समय प्रात: 9.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक रहेगा। इसमें विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर ही चर्चा होगी। मैं समझता हूँ, सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार संबंधी घोषणा

(2) माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा वर्ष 1995 में स्थापित संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत योजना वर्ष 2004-2006 हेतु "उत्कृष्ट मंत्री" एवं "उत्कृष्ट विधायक" का चयन किया जाना है।

पुरस्कारों के चयन के लिए निर्धारित नियम एवं इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिपालन में समस्त माननीय सदस्यों से "उत्कृष्ट मंत्री" एवं "उत्कृष्ट विधायक" की श्रेणी के लिए नामांकन पूर्व में पत्रों द्वारा अनेक बार आमंत्रित किए गए हैं।

उपर्युक्त श्रेणियों के लिये निर्धारित मापदण्ड एवं नामांकन प्रपत्र सूचना कार्यालय स्थित खानेदार आलमारी में पुन: उपलब्ध कराए जा रहे है।

अत: अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों ने नामांकन नहीं दिए हैं वे "उत्कृष्ट मंत्री" एवं "उत्कृष्ट विधायक" की श्रेणी में 03-03 नामों के प्रस्ताव नामांकन प्रपत्रों में भरकर दिनांक 17 मार्च, 2007 तक प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा को सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

माननीय सदस्यगण अपने नामांकन के साथ नामांकित किये जाने वाले मंत्री/विधायक के पक्ष में अखबार की कतरनें या अन्य कोई प्रमाण संलग्न कर सकते हैं।

12. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री की वन एवं परिवहन विभाग की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया।

(1) श्री ज्ञान सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
(5) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)
(6) श्री शंकरलाल तिवारी
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(8) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(9) डॉ. सुनीलम्
(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(11) श्री बहादुर सिंह चौहान
(12) श्री सुखदेव पांसे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(13) श्री ओमप्रकाश पुरोहित
(14) डॉ. निशिथ पटेल
(15) श्री दिलीप भटेरे
(16) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(17) श्री दुर्गालाल विजय
(18) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(19) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 08 बजकर 20 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2007 (फाल्गुन 25, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.